

28¹⁰/₂₄ पत्रावली पेश हुई। आदेशिका दिनांक 21-6-22
के अनुसार प्रकरण में धारा 128 LR Act के तहत
पट्टागती के अधीन परिणत हो चुके हैं। जिससे
प्रकरण को लंबित स्थाना समीचीन नहीं होने से
कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर सँ कम हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली